न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–5/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), मथुरा

उपस्थितः– श्वेता वर्मा (उच्चतर न्यायिक सेवा)
{J.O.Code No. UP6428}
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–811/2026
सी०एन०आर०सं०–UPMT01–001671/2026
धर्मेन्द्र बनाम उ.प्र. राज्य

आदेश

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त धर्मेन्द्र की ओर से मु०अ०सं० 115/2026, धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबंद अधिनियम, थाना–हाईवे, जिला मथुरा के अन्तर्गत दिया गया है।

2– संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार गैंग लीडर धर्मेन्द्र तथा गैंग के सदस्य जुबैर, जलालुद्दीन व राजेश के साथ मिलकर एक सुसंगठित आपराधिक गिरोह बना रखा है। यह गैंग अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिये वाहन चोरी आदि समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त है। इस गैंग के भय एवं आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत एवं गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता है। गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त का निम्न आपराधिक इतिहास हैः–

अभियुक्त धर्मेन्द्र –

I. मु०अ०सं० 820/2025, धारा 303(2),317(2),318(4)बीएनएस, थाना हाईवे, जिला मथुरा।
II. मु०अ०सं० 1024/2025, धारा 303(2),317(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस, थाना हाईवे, जिला मथुरा।

3– जमानत प्रार्थनापत्र एवं शपथपत्र में शपथकर्ता ने यह अभिकथित किया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो कभी खारिज हुआ है, न ही माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में लम्बित है। अभियुक्त पर तथाकथित गैंगचार्ट में दो आपराधिक मुकदमें दर्शित किये गये है। थाना हाईवे पुलिस ने अपना गुडवर्क दिखाने के लिये झूँठा मुकदमा लिखा है तथा दिनांक 03.02.2026 को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा है। उक्त मुकदमें में जनता का कोई गवाह नही है। अभियुक्त दिनांक 21.11.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उक्त आधार पर जमानत की याचना की गयी है।

4– मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से लोक अभियोजक के तर्क सुने एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

5– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है, वह आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है। अभियुक्त का न तो किसी सक्रिय गैंग से संबंध है तथा न ही आपराधिक इतिहास है। अतः प्रश्नगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत दी जाये।

6– राज्य के लोक अभियोजक ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक गिरोह के गैंग का गैंगलीडर हैं। अभियुक्त अन्य अभियुक्तगण के साथ एक राय व संगठित होकर अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिये वाहन चोरी आदि समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त है, जिसकी वजह से भय का माहौल व्याप्त रहता है। अतः अभियुक्त की जमानत खारिज की जाये।

7– पत्रावली को अवलोकित करने से स्पष्ट है कि अभियुक्त/प्रार्थी के विरूद्ध दो आपराधिक मुकदमा दर्ज हैं। उक्त मुकदमें वाहन चोरी आदि से सम्बन्धित है। प्रार्थी /अभियुक्त आपराधिक गैंग का गैंगलीडर बताया

Digitally signed by SWETA VERMA
Date: 2026.03.20 15:31:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गया हैं। गिरोह के सभी मुल्जिमानों का आपराधिक इतिहास है। धारा–19(4 ख)उ०प्र० गिरोहबंद समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 द्वारा अपेक्षित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अभियुक्त/प्रार्थी को तभी जमानत दी जायेगी, जब न्यायालय का यह समाधान हो जाये कि अभियुक्त/प्रार्थी ऐसे अपराध के दोषी नहीं है तथा वह जमानत पर रहते हुए पुनः अपराध कारित नहीं करेंगे। प्रस्तुत प्रकरण में अभी इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त/प्रार्थी आरोपित अपराध में दोषी नहीं है अथवा जमानत पर रिहा होने के बाद पुनः अपराध नहीं करेगा।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त/प्रार्थी धर्मेन्द्र का जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं० 115/2026, धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबंद अधिनियम, थाना हाईवे, जिला मथुरा **निरस्त** किया जाता है

आदेश की एक प्रति अभियुक्त/प्रार्थी को **निःशुल्क** प्रदान की जाये।

दिनांक–18.03.2026

(श्वेता वर्मा)
(Ms. Sweta Verma)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 05, मथुरा
ID UP 6428